न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी निग – 2151 – I – 16

1. श्रीमती द्रोपती पुत्री बृजलाल नोवस्ता पत्नी महेश वर्मा निवासी लोहा मण्डल आगरा उ0प्र0
2. श्रीमती उमा पुत्री ब्रजलाल पत्नी हाकित सिंह निरंजन निवासी विरगवां तहसील कोंच जिला जालौन उ0प्र0
3. श्रीमती भागवती पुत्री ब्रजलाल पत्नी भगवानदास कुर्मी
4. मुन्नालाल पुत्र ब्रजलाल
5. सुघरसिंह पुत्र ब्रजलाल
6. बलरामसिंह पुत्र ब्रजलाल
7. मनोहर सिंह पुत्र ब्रजलाल

समस्त जाति कुर्मी निवासीगण ग्राम भिटी तहसील व जिला दतिया म0प्र0

—————— आवेदकगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र धनुआ
2. कप्तानसिंह पुत्र धनुआ
3. कस्तूरी वेवा मायाराम
4. सतीश पुत्र मायाराम

निवासीगण ग्राम रावरी तसहील व जिला दतिया म0प्र0

5. कैलाशचन्द्र
6. वीरसिंह
7. श्यामलाल
8. जयचन्द्र
9. चन्दू

(5–9) पुत्रगण स्व. मूलचन्द्र कुर्मी

10. श्रीमती शीला पुत्र मूलचन्द्र
11. श्रीमती सुदामा पुत्री मूलचंन्द्र
12. श्रीमती मुन्नी पुत्री मूलचन्द्र
13. श्रीमती गरौठाबाई 'वेवा मूलचन्द्र समस्त निवासीगण भिटी तहसील व जिला दतिया म.प्र.

——— अनावेदकगण

श्री एस. पी. चौहान एड. द्वारा आज दि. 02/07/16 को प्रस्तुत
2-7-16
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2.7.16

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार बड़ौनी जिला दतिया के प्र.क. 35/अ–6/15–16 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

<u>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य</u> :–

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्राकर है कि, भूमि सर्वे क. 276 का रकवा 1.068 है. जिसका बन्दोबस्त के बाद नवीन सर्वे नं. 4 रकवा 1.12 हें., निर्मित किया है। जिसके भूमिस्वामी 1 लगायात 7 के बाबा भागीरथ कुर्मी थे। जिनका खान दानी सजरा इस प्रकार है –

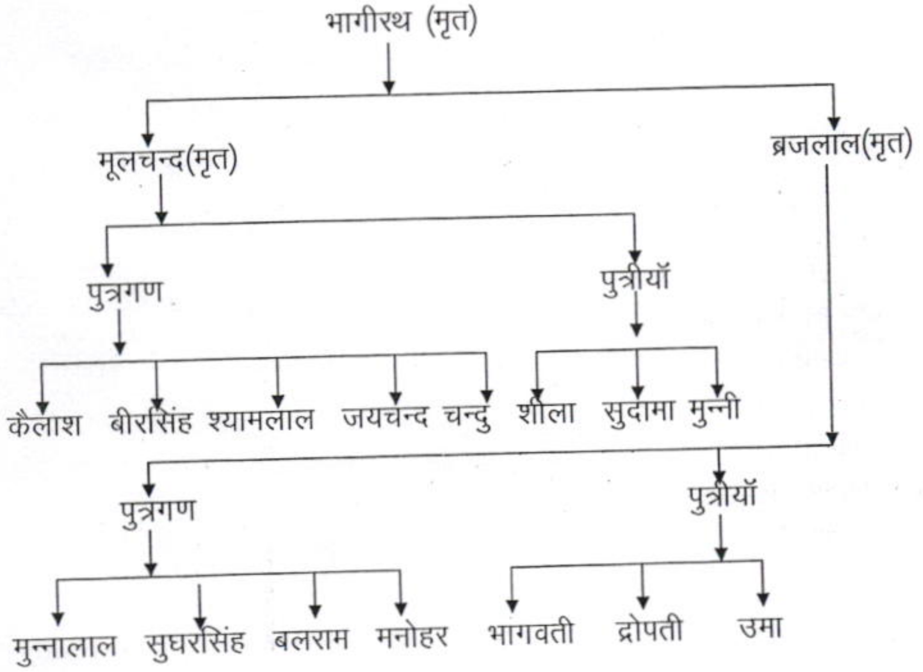

खानदानी सजरा अनुसार भागीरथ कुर्मी का स्वर्गवास हो चुका है। मृत्यु के पश्चात अपने दो पुत्र मूलचन्द व ब्रजलाल को छोड़ा है। वे भी मृतक हो चुके हैं। जिनके वारिस आवेदक क. 1 लगायत 7 एवं अनावेदक क. 5 लगायत 13 हैं। जो पुत्र व पुत्रियों के रूप में हैं। उक्त भूमि को गिरबीनामा के आधार पर अनावेदक क. 1 लगायत 3 को कुछ धन की आवश्यकता होने से गिरबी रख दिया गया। उक्त भूमि को जो धन लिया था उसे विधिव् मय सूद के बापस कर दिया गया। इस कारण उक्त भूमि पुनः आवेदकगण के वारिसों के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है, परन्तु अनावेदक 1 लगायत 4 द्वारा तहसीलदार बडोनी के

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2151-एक/16 **जिला** - दतिया

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला दतिया के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>कलेक्टर जिला दतिया</u>**	